27-12-22

प्रकरण आज वी.सी. के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।

आवेदक द्वारा श्री समीर शर्मा अधि.।

अनावेदक द्वारा आनंदानी अधि.।

प्रकरण आज आदेश हेतु नियत हैं। इस आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 29 नियम 3 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा हैं। आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा इस प्रकरण में अनावेदक कंपनी के डायरेक्टर श्री कौस्तुभ नारायण मिश्रा को प्रत्याथी/अनावेदक के रूप में संयोजित किया गया हैं जिसमें अन्य संचालक श्री किशोर नायक को भी अनावेदक पक्ष के रूप में संयोजित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं इसलिए वर्तमान में अनावेदक की उपस्थिति एवं मेसर्स रायपुर हाउसिंग प्रा.लि. के वर्तमान की स्थिति एवं असेस्ट्स प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक हैं। अतः आवेदन स्वीकार किया जावे।

अनावेदक (किशोर नायक) द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया हैं। अतः उसके विरूद्ध किसी भी

Scanned with CamScanner

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 36/2021

प्रकरण दर्ज दिनांक ....

आवेदक : Smt. एस. पद्मावती विरुद्ध रायपुर हाऊ.

CGRERA-P-Exe.m.RPR-2020-01218

निष्पादन प्रकरण में संशोधन या कोई अन्य आदेश के विरूद्ध निष्पादन न्यायालय को संशोधन करने की अधिकारिताः सी. पी.सी. के आदेश 21 में कोई प्रावधान नहीं हैं और निष्पादन न्यायालय को आदेश के रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः आवेदन कानूनन पोषणीय न होने से सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन अनावेदक ने किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 27/07/2021 को अनावेदक कंपनी मेसर्स रायपुर हाउसिंग एण्उ डेव्हलपमेंट प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर श्री कौस्तुभ नारायण मिश्रा के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था। यह निष्पादन प्रकरण अनावेदक कंपनी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं। अनावेदक कंपनी के डायरेक्टर श्री कौस्तुभ नारायण मिश्रा के तामीलीशुदा पते के अभाव में नोटिस तामील न होने के कारण वे प्रकरण में अनिर्वाहित हैं। आवेदक द्वारा दिनांक 10/03/2022 को जो कंपनी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं उक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक कंपनी के डायरेक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्रा व किशोर नायक हैं। चूंकि कंपनी के डायरेक्टर कौस्तुभ नारायण मिश्रा प्रकरण में अनुपस्थित हैं एवं माननीय रेरा अथॉरिटी के आदेश का पालन अनावेदक कंपनी के विरूद्ध किया जाना हैं। अतः आदेश के Execution, discharge or satisfaction हेतु सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर देने हेतु कंपनी के अन्य डायरेक्टर श्री किशोर नायक को प्रकरण में उपस्थित कर कंपनी के वर्तमान स्थिति एवं असेस्टस के संबंध में परीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हैं। अतः आवेदन विधि सम्मत होने से स्वीकार किया जाता हैं और यह आदेशित किया जाता है कि अनावेदक कंपनी के अन्य डायरेक्टर श्री किशोर नायक प्रकरण में उपस्थित होकर कंपनी के संबंध में जानकारी देवे।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु 16/02/2023

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with CamScanner